200

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 दिनांक : २० /02/2010

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0/पिटकुल एवं पूर्ववर्ती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनो/सेवानितृत कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके पारिवरिक पेंशनरों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति विषयक वित्तिय अधिकारों के प्रतिनधियान विषयक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 5045–निदे(मा0सं0)/उपकालि/अनु–क010–ई/एम–1, दिनांक 08.09.2005 एवं एतद्विषयक पूर्ववर्ती आदेश को अवक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरांत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति विषयक वित्तीय अधिकारों को प्रतिनिधायान निम्नवत् किया जाता है–

अधिकारी का नाम	प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि
अधिशासी अभियन्ता	रू0 10,000.00(रू0 दस हजार मात्र) तक
उपमहाप्रबंधक	रू0 25,000.00(रू0 पच्चीस हजार मात्र) तक
महाप्रबन्धक	रू0 50,000.00(रू0 पचास हजार मात्र) तक
निदेशक (मा0सं0)	रू0 75,000.00(रू0 पच्चत्तर हजार मात्र) तक
निदेशक (मा0सं0) (निदेशक–वित्त की सहमति से)	रू0 1,00,000.00(रू0 एक लाख मात्र) तक
प्रबन्ध निदेशक	रू0 1,00,000.00(रू0 एक लाख मात्र) से अधिक

प्रतिबन्ध–

1. उपरोक्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने हेतु केवल वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य आवंटित होंगे।
2. सेवारात/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों का निस्तारण भी क्षेत्रीय स्तर से उपरोक्त वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन के अनुसार किया जायेगा।
3. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य आदेश/नियम/विनियम पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।
4. खण्ड/मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय अपने कार्यालय से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयक त्रैमासिक विवरण कारपोरेशन को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस विवरण के आधार पर कुछ प्रकरणों को परीक्षण हेतु समय–समय पर मुख्यालय द्वारा मंगाये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
5. यह आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: २२६ /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0एवंअनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक पिटकुल।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
9. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाईल।

(एस0 के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक : 2199 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–5 दिनांक : 24.12.2011

विषय: चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक,
अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल.. ।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 1125/ मा0सं0एवंप्र0अनु0/ पिटकुल/ पी–5 दिनांक 05.08.2011 के क्रम में यह सूचित करना है कि कारपोरेशन आदेश सं0 226/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 20.02.2010 में निहित वित्तीय अधिकारों के अनुरूप रू0 50.000.00 तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण सम्बन्धित अधिकारी अपने–अपने वित्तीय अधिकारों के अधीन निस्तारित कर सकते है, केवल रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण ही महाप्रबन्धक (वित्त) कार्यालय को सत्यापन हेतु अग्रसारित किये जायेंगें।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :2199/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–5 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
2. निदेशक (परि0 एवं अनु0)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, देहरादून।
4. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
5. कट फाईल/कार्यालय ज्ञाप पंजिका।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक :1518/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक : 03 .09.2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन आदेश सं0 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 के द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकारों का पुनरीक्षण किया गया था, जिसके उपरान्त कतिपय चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रकरणों के निस्तारण में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत् रखते हुए अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय भुगतान इकाई, पिटकुल, देहरादून के कार्यालय में प्राप्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रू0 20,000/– से अधिक एवं रू0 1,00,000/– से कम के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रकरणों को निस्तारित किये जाने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :–

1. श्री एस0के0 तोमर, महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून–सदस्य।
2. श्री अशोक कुमार जुयाल, उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0), पिटकुल, देहरादून– सदस्य एवं संयोजक।

अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय भुगतान इकाई, देहरादून के कार्यालय में प्राप्त रू0 20,000/– से अधिक एवं रू0 1,00,000/– से कम के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रकरणों को अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय भुगतान इकाई, पिटकुल, देहरादून द्वारा उनकी इकाई में तैनात लेखाकार से वित्तीय जॉच करवाते हुए जाँच प्रमाण पत्र के साथ टिप्पणी एवं आदेश के रूप में उपरोक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके उपरान्त उपरोक्त गठित समिति द्वारा प्रकरण की प्रशासनिक जाँच की जायेगी तथा प्रकरण के सही पाये जाने की स्थिति में समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रकरण का निस्तारण पुनः अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय भुगतान इकाई, पिटकुल, देहरादून के स्तर से किया जायेगा।

उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक शनिवार को आहूत की जायेगी तथा अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय भुगतान इकाई, देहरादून सप्ताहन्तर्गत प्राप्त समस्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रकरणों को समिति के समक्ष उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करेंगे।

साथ ही आदेश सं0 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त प्राप्त इस प्रकार के समस्त लम्बित प्रकरणों को भी उपरोक्त समिति द्वारा निस्तारित किया जा सकेगा।

कारपोरेशन आदेश सं0 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :1518/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक/डी0ई0ओ0 –निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून एवं सदस्य समिति।
4. उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0), पिटकुल, देहरादून एवं सदस्य समिति।
5. अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय भुगतान इकाई, पिटकुल, देहरादून।

(पंकज कुमार)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान) (अति0कार्य0)

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक : /633 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–5 दिनांक : /0 .09.2021

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा कारपोरेशन आदेश सं0 981 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–5 दिनांक 18.05.2021 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत पिटकुल के कार्मिकों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों द्वारा कोरोना संक्रमण का उपचार उक्त आदेश के निर्गमन की तिथि अर्थात दिनांक 18.05.2021 से पूर्व एवं पश्चात, प्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी चिकित्सालय में करवाया गया है अथवा करवाया जाता है तो उसकी शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

उपर्युक्त व्यवस्था मात्र कोविड–19 से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु ही मान्य होगी।

उपर्युक्त आदेश मात्र इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :1633 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–5 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून के संज्ञानार्थ।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक : 1633 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईओ–13 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..............।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.........................।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून को उनके पत्रांक 725 / अधि0एवंपें0(वि0) / पिटकुल / लेखास्कन्ध दिनांक 21.08.2021 के द्वारा मांगे गये दिशा–निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

10/9/2021
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 645 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक :13 .05.2022

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के क्रम संख्या 04 में निम्नवत व्यवस्था है कि:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि
4	सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति के उपरान्त निदेशक (मा0सं0) द्वारा (वित्त) की सहमति से	रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख) से अधिक के प्रकरण

उपरोक्त आदेश पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त बिन्दु में निम्नवत व्यवस्था को जोड़ा जाता है:–

"जिन अधिकारियों के नियंत्रक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक स्वयं हैं, उनके अथवा उनके आश्रित परिजनों से सम्बन्धित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकारों (रू0 एक लाख से अधिक) के लिये एतद्द्वारा निदेशक (वित्त) को संस्तुति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है एवं निदेशक (वित्त) की सहमति के उपरान्त निदेशक (मा0सं0) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।"

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 645 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सहायक/डा0ए0ऑ0–निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल ....।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(अशोक कुमार जुंयाल)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1959 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 04 .11.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन के आदेश संख्या 851/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 14.06.2019 यथा संशोधित कारपोरेशन आदेश संख्या 1194/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 24.08.2019 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 270/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 07.02.2022 के द्वारा निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन पैनल पर लिये जाने हेतु गठित समिति को निम्नवत पुर्नःगठित किया जाता हैः–

1. श्री हितेन्द्र सिंह ह्यांकी, मुख्य अभियन्ता (परि0एवंअनु0), कुमायूँ क्षेत्र, पिटकुल, देहरादून – अध्यक्ष
2. श्री अशोक कुमार जुयाल, महाप्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, देहरादून – संयोजक सदस्य
3. श्री मनोज कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून – सदस्य
4. श्री ललित कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना, लाईन डिजाइन, पिटकुल, देहरादून – सदस्य

उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1959 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..................।
4. समिति के सदस्यों को नाम से......................................।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0–2), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,................।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(विवेकानन्द)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी